रजिस्ट्री सं. डी. एल. — 33002/99 | भारत सरकार | REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2012/माघ 13, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 273
No. 19] DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2012/MAGHA 13, 1933 [N.C.T.D. No. 273

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस-2 विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 फरवरी, 2012

फा. सं. 11/35/2010-गृ.पु.-488.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 357-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल पीड़ितों या उनके आश्रित/आश्रितों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के लिये निम्नलिखित योजना अनुमोदित करते हैं, जिस/जिन को अपराध के परिणामस्वरूप क्षति या चोट पहुंचती है या पुनर्वास की आवश्यकता है ।

(1) **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ तथा प्रयोग.**—1. इस योजना को "दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011" कहा जा सकेगा ।

2. यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी ।

3. यह पीड़ितों और उनके आश्रितों पर लागू होगी, जिन्हें हुए अपराध के कारण क्षति, चोट पहुंची या पुनर्वास की आवश्यकता है, जैसी भी स्थिति है ।

(2) **परिभाषाएं.**—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इन नियमों में—

(क) "संहिता" का अर्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) से है,

(ख) "समाहर्ता" का अर्थ सरकार का मण्डल आयुक्त या इस संबंध में प्राधिकृत कोई व्यक्ति से है,

(ग) "आश्रित" में पत्नी, पति, पिता, माता, अविवाहित पुत्री, तथा पीड़ित के अवयस्क बच्चे, जैसा आश्रित प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सशक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो या इस संबंध में सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी, आते हैं ।

(घ) "सरकार" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से है,

(ङ.) "अनुसूची" का अर्थ इस योजना के साथ संलग्न अनुसूची से है,

(च) "राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" का अर्थ दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण से है, जैसा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 3-ए) में परिभाषित है ।

(छ) "पीड़ित" का अर्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ब क) में यथापरिभाषित किसी व्यक्ति से है ।

346 DG/2012

Office of Delhi Commission for Women
Diary No. 698
2/2/12

(3) **पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि.**—1. एक निधि होगी अर्थात् पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि, जिसमें पीड़ितों और उनके उन आश्रितों को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा, जिनको किसी अपराध के परिणामस्वरूप क्षति या चोट पहुंची है, या पुनर्वास की आवश्यकता है ।

2. "पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि" में निम्नलिखित होंगे :—

(क) बजट में नियतन, जिसके लिये सरकार द्वारा वार्षिक बजट में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा ।

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 357-क के अंतर्गत आरोपित दण्ड की राशि की प्राप्ति और पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि में न्यायालयों द्वारा जमा कराने के आदेश दिए गए हैं ।

(ग) योजना के खण्ड (9) के अंतर्गत गलती करने वाले/दोषी से वसूल की गई क्षतिपूर्ति की राशि ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/लोक हितैषी/धमार्थ संस्थाओं/संगठनों और व्यक्तियों से प्राप्त दान/चंदा ।

3. उक्त निधि का मण्डल आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा संचालन किया जाएगा (इसके बाद "मण्डलायुक्त" के रूप में संदर्भित) ।

(4) **क्षतिपूर्ति के लिए पात्रता.**—पीड़ित या उसके आश्रित मानदण्ड पर खरा होने के उपरांत क्षतिपूर्ति पाने के लिये पात्र होगा/होगी, कि उसे केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत क्षति या चोट के लिये क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है ।

(5) **क्षतिपूर्ति देने की प्रक्रिया.**—(1) जब भी न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 357-क की उप-धारा (2) तथा (3) के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए सिफारिश की जाती है या संहिता, 1973 की धारा 357-क की उप-धारा (4) के अधीन दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण को किसी पीड़ित अथवा उसके आश्रितों द्वारा आवेदन किया जाता है तो वह मामले की जांच करेगा तथा अपराध के परिणामस्वरूप क्षति या चोट या पुनर्वास के संबंध में दावे की विषय-वस्तुओं का सत्यापन करेगा या संबंधित से दावे पर विचार करने के लिए किसी अन्य सुसंगत सूचना की मांग कर सकता है ।

(2) संहिता 1973 की धारा 357-क की उप-धारा (5) के अधीन जैसा जांच पर विचार किया गया है, उसे तुरंत पूरा किया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में दावा/याचिका प्राप्ति से (60) साठ दिनों से अधिक की अवधि नहीं होगी ।

(3) मामले पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण अपनी संतुष्टि पर पुनर्वास के लिए अपेक्षित या क्षति अथवा चोट चिकित्सा खर्च के आधार पर जो कि उपचार पर खर्च किया गया है तथा ऐसे अन्य प्रभार तथा अंत्येष्टि पर हुए खर्च को प्राप्त करने के लिए पीड़ित या उसके आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा निर्णीत करेगा :

उपबंध है कि (1) पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा अनुसूची (2) में निर्धारित से कम या अधिक नहीं होगी, यदि बाद की तारीख में कोर्ट न्यायालय द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति अधिकतम सीमा से अधिक हो तो दी गई क्षतिपूर्ति की राशि को समायोजित किया जाएगा ।

(6) **आदेश का अभिलेख रखा जाए.**—इस योजना के अधीन दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा पारित क्षतिपूर्ति आदेश की प्रति ट्रायल कोर्ट के अभिलेख में अनिवार्य रूप से रखी जाएगी ।

(7) **क्षतिपूर्ति वितरण का तरीका.**—1. इस प्रकार दी गई क्षतिपूर्ति की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएगी अथवा यदि राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा न हो । पीड़ित/आश्रितों के संयुक्त एवं एकल नाम से किसी अनुसूचित व्यावसायिक बैंक की शाखा में जमा की जाएगी । इस प्रकार जमा की गई राशि में से 75 प्रतिशत (पचहत्तर प्रतिशत) न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए फिक्स डिपोजिट की जाएगी तथा शेष 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) पीड़ित/आश्रितों द्वारा जैसी भी स्थिति हो प्रयोग एवं प्रारंभिक खर्चों के लिए उपलब्ध होगी ।

2. **अवस्यक के मामले में.**—इस प्रकार निर्णीत क्षतिपूर्ति की 80 प्रतिशत राशि सावधि जमा खाते में जमा कराई जाएगी और वयस्क होने पर ही निकाली जाएगी, लेकिन जमा करने के तीन वर्ष पहले नहीं । शर्त यह है कि विशेष मामलों में दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वविवेक पर लाभग्राही की शैक्षिक या चिकित्सीय आवश्यकताओं के लिए राशि निकाली जा सकेगी ।

3. धनराशि का ब्याज पीड़ित/आश्रित/आश्रितों के बचत खाते में बैंक द्वारा सीधे ही मासिक आधार पर जमा किया जाएगा ।

(8) **पीड़ितों को चिकित्सा सहायता.**—दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण किसी पुलिस अधिकारी, जो थाने के प्रभारी अधिकारी की रैंक से कम न हो या संबंधित क्षेत्र के किसी मजिस्ट्रेट के प्रमाण-पत्र पर पीड़ित के कष्टों को कम करने के लिए तत्काल यथोचित प्राथमिक सहायता सुविधा या चिकित्सा लाभ या कोई अन्य अंतरिम राहत, उपलब्ध कराई जाएगी ।

(9) **पीड़ितों को चिकित्सा सहायता पीड़ित या उसके आश्रित/आश्रितों को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की वसूली.**—संहिता की धारा 357-क की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, उपयुक्त मामलों में क्षति या चोट पहुंचाने के प्रति उत्तरदायी उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों जिनके द्वारा किए अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित या उसके आश्रितों को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि की वसूली के लिए सक्षम कानूनी न्यायालय के समक्ष कार्रवाई कर सकता है ।

(10) **आश्रिता प्रमाण-पत्र.**—आश्रिता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकरण 15 (पंद्रह) दिन की अवधि के भीतर जारी करेगा, यह अवधि बढ़ाई जायेगी :

शर्त यह है कि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण आश्रिता प्रमाण-पत्र न जारी होने की स्थिति में 15 दिन के पश्चात् दावेदार से प्राप्त होने वाले किसी शपथ पत्र के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है ।

(11) **परिसीमा.**—संहिता की धारा 357-क की उप-धारा (1) के अंतर्गत पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा इस योजना के अंतर्गत कोई भी दावा अपराध होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं किया जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
अ. चगती, अतिरिक्त सचिव (गृह)

अनुसूची

क्रमांक	क्षति या चोट का विवरण	क्षतिपूर्ति की न्यूनतम सीमा	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
1.	जीवन हानि	3.00 लाख रु.	5.00 लाख रु.
2.	बलात्कार	2.00 लाख रु.	3.00 लाख रु.
3.	शरीर के किसी अंग या भाग का हानि/क्षति जिसके परिणास्वरूप 80 प्रतिशत या अधिक स्थाई अपंगता	2.00 लाख रु.	3.00 लाख रु.
4.	शरीर के किसी अंग या भाग की क्षति जिसके परिणास्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक तथा 80 प्रतिशत से कम स्थाई अपंगता	1.00 लाख रु.	1.50 लाख रु.
5.	शरीर के किसी अंग या भाग की क्षति जिसके परिणास्वरूप 40 प्रतिशत से कम स्थाई अपंगता	0.60 लाख रु.	1.00 लाख रु.
6.	शरीर के किसी अंग या भाग की क्षति जिसके परिणामस्वरूप 20 प्रतिशत से कम स्थाई अपंगता	0.50 लाख रु.	0.50 लाख रु.
7.	मानव देह व्यापार बाल उत्पीड़न और अपहरण	0.50 लाख रु.	0.50 लाख रु.
8.	बाल पीड़ित की हुई सरल चोट या क्षति	0.10 लाख रु.	0.10 लाख रु.
9.	पुनर्वास	0.20 लाख रु.	0.20 लाख रु.
10.	तेजाब के आक्रमण से पीड़ित : क. चेहरे को विकृत करने की स्थिति में	2.00 लाख रु.	3.00 लाख रु.
	ख. चोट के अन्य मामले	0.50 लाख रु.	0.50 लाख रु.

HOME (POLICE II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd February, 2012

F. No. 11/35/2010-HP II/488.—In exercise of the powers conferred by Section 357 A of the Code of Criminal Procedure,1973 (2 of 1974), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to apporve the following Scheme for the purpose of providing compensation to the victims or their dependent(s) who have suffered loss or injury or require rehabilitation as a result of the offence.

1. **Short Tital and commencement and application**.— (1) This Scheme may be called the Delhi Victims Compensation Scheme, 2011.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.

(3) It shall apply to the victims and their dependent(s) who have suffered loss, injury or require rehabilitation, as the case may be, as a result of the offence committed.

2. **Defination.**— In this Scheme, unless the context otherwise requires

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(b) "Collector" means the Divisional Commissioner of the Government, or any person authorized in this behalf;

(c) "Dependent" includes wife, husband, father, mother, unmarried daughter and minor children of the victim as determined by the authority empowered to issue dependency certificate that is to say the Collector, or any other authority authorized by the Government in this regard;

(d) "Government" means the Government of National Capital Territory of Delhi;

(e) "Schedule" means the Schedule appended to this Scheme;

(f) "State Legal Services Authority" means the Delhi Legal Services Authority, as defined in the Legal Secvices Authorities Act, 1987 (39 of 1987);

(g) "victims" means a person as defined in clause (wa) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

3. **Victims Compensation Fund.**— (1) There shall be a Fund, namely, the Victim Compensation Fund from which the amount of compensation, as decided by the Delhi Legal Services Authority, shall be paid to the victims and their dependent(s) who have suffered loss or injury or require rehabilitation as a result of the crime or require rehabilitation.

(2) The 'Victim Compensation Fund' shall comprise the following :—

(a) Budegetary allocation for which necessary provision shall be made in the Annual Budget by the Government.

(b) Receipt of amount of fines imposed under Section 357 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and ordered to be deposited by the courts in the Victim Compensation Fund.

(c) Amount of compensation recovered from the wrongdoer/accused under clause 9 of the Scheme;

(d) Donations/contributions from International/National/Philanthropist/Charitable Institutions/Organizations and individuals.

(3) The said Fund shall be operated by the Divisional Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred to as "Divisional Commissioner").

4. **Eligibility for Compensation.**— The victim or his/her dependent(s) shall be eligible for the grant of compensation after satisfying the criteria that he/she should not have been compensated for the loss or injury under any other scheme of the Central Government or the Government of National Capital Territory of Delhi.

5. **Procedure for grant of compensation.**— (1) Wherever, a recommendation is made by the court for compensation under sub-sections (2) and (3) of Section 357A of the code, or an application is made by any victim or his/her dependent(s), under sub-section (4) of Section 357A of the Code, 1973 to the Delhi Legal Services Authority, it shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury or rehabilitation as a result of the crime and may also call for any other relevant information necessary for consideration of the claim from the concerned.

(2) The inquiry as contemplated under Sub-section (5) of Section 357A of the Code, 1973 shall be completed expeditiously and the period in no case shall exceed beyond sixty days from the receipt of the claim/petition.

(3) After consideration of the matter, the Delhi Legal Services Authority, upon its satisfaction, shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his/her dependent (s) on the basis of loss or injury or requirment for rehabilitation, medical expenses to be incurred on treatment and such incidental charges, such as funeral expenses etc.

Provided that —(1) the quantum of compensation to be awarded to the victim or his/her dependent(s) shall not be less or more than what is provided in the Schedule (2), if at a later date, compensation awarded by the court is more than the maximum limit, the amount of compensation paid shall be adjusted.

6. **Order to be placed on record.**— Copy of the order of compensation passed by the Delhi Legal Services Authority under this Scheme, shall be mandatorily placed on record of the trial court.

7. **Method of disbursement of compensation.**— (1) The amount of compensation so awarded shall be deposited in a Nationalized Bank or if the branch of a Nationalized Bank is not in existence, it shall be deposited in the branch of a scheduled commercial bank, in the joint or single name of the victim/dependent(s). Out of the amount so deposited, 75% (seventy five per cent) of the same shall be put in a fixed deposit for a minimum period of three years and the remaining 25% (twenty five per cent) shall be available for utilization and initial expenses by the victim/dependent(s), as the case may be.

(2) In the case of a minor, 80% of the amount of compensation so awarded, shall be deposited in the fixed deposit account and shall be drawn only on attainment of the age of majority, but not before three years of the deposit :

Provided that in exceptional cases, amounts may be withdrawn for educational or medical needs of the beneficiary at the discretion of the Delhi Legal Services Authority.

(3) The interest on the sum shall be credited directly by the bank in the savings account of the victim/dependent(s), on monthly basis.

8. **Medical aid to the victim.**—The Delhi Legal Services Authority may order for immediate first-aid facility or medical benefits or any other interim relief, as deemed appropriate, to be made available free of cost, to alleviate the suffering of the victim on the certificate of a police officer, not below the rank of the officer-in-charge of the police station, or a Magistrate of the area concerned.

9. **Recovery of compensation awarded to the victim or his/her dependent(s).**—Subject to the provisions of sub-section (3) of Section 357-A of the Code, the Delhi Legal Services Authority, in proper cases, may institute proceedings before the competent court of law for recovery of the compensation granted to the victim or his/her dependent(s) from person(s) responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed by him/her.

10. **Dependency certificate.**—The authority empowered to issue the dependency certificate shall issue the same within a period of fifteen days and, in no case, this period shall be extended :

Provided that the Delhi Legal Services Authority, in case of non-issuance of Dependency Certificate, after expiry of 15 days, may proceed on the basis of an affidavit to be obtained from the claimant.

11. **Limitation.**—Under the Scheme, no claim made by the victim or his/her dependent(s), under sub-section (4) of Section 357-A of the Code, shall be entertained after a period of 3 years from the date of occurrence of the crime.

SCHEDULE

Sl. No.	Particulars of Loss or Injury	Minimum Limit of Compensation	Maximum Limit of Compensation
1.	Loss of life	Rs. 3.00 Lakh	Rs. 5.00 Lakh
2.	Rape	Rs. 2.00 Lakh	Rs. 3.00 Lakh
3.	Loss of any Limb or part of body resulting in 80% permanent disability or above	Rs. 2.00 Lakh	Rs.3.00 Lakh
4.	Loss of any Limb or part of body resulting in 40% and below 80% permanent disability	Rs. 1 Lakh	Rs. 1.50 Lakh
5.	Loss of any limb or part of body resulting in above 20% and below 40% permanent disability	Rs. 0.60 Lakh	Rs. 1 Lakh
6.	Loss of any limb or part of body resulting in below 20% permanent disability	Rs. 0.50 Lakh	Rs. 0.50 Lakh
7.	Victims of human trafficking, child abuse and kidnapping	Rs. 0.50 Lakh	Rs. 0.50 Lakh
8.	Simple loss or injury to child victim	Rs. 10 Lakh	Rs. 0.10 Lakh
9.	Rehabilitation	Rs. 0.20 Lakh	Rs. 0.20 Lakh
10.	Victims of Acid Attack	Rs. 2.00 Lakh	Rs. 3.00 Lakh
	a. In case of disfigurement of face		
	b. Other cases of injury	Rs. 0.50 Lakh	Rs. 0,50 Lakh

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

AJAY CHAGTI, Addl. Secy. (Home)

346 DG/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.